क्रम संख्या–74 पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 26 मई, 2005 ई0
ज्येष्ठ 05, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
पशुपालन अनुभाग
संख्या 249/XV–1/2005
देहरादून, 26 मई, 2005

अधिसूचना

प0 आ0–65

उत्तरांचल पशुधन प्रजनन नीति 2005 को निम्न विवरण के अनुसार गजट में प्रकाशित होने की तिथि से उत्तरांचल प्रदेश में लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उत्तरांचल पशुधन प्रजनन नीति का प्रसार क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य होगा और यह उत्तरांचल के समस्त पशुधन यथा–गाय, भैंस, बकरी, घोड़े, खच्चर, गर्दभ, सूकर, याक एवं कुक्कुट आदि पशु–पक्षियों के लिए प्रभावी होगा तथा प्रदेश में पशुधन के क्षेत्र में कार्यरत समस्त विभागों, संस्थानों एवं सरकारी/ सहकारी/गैर सरकारी संस्थाओं आदि पर लागू होगा।

परिचय

उत्तरांचल राज्य का उदय देश के 27वें राज्य के रूप में 9 नवम्बर, 2000 को हुआ। इसके गठन के मूल में यह अवधारणा थी कि राज्य की आर्थिक वृद्धि की दर को उचित प्रशासकीय, तकनीकी एवं जनसहभागी तंत्र के विकास द्वारा गति प्रदान की जाय। यह प्रदेश भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है और गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़े, खच्चर तथा मुर्गी–कुक्कुट जैसे पशुधन से सम्पन्न है।

उत्तरांचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। जिसकी जनसंख्या वर्तमान में लगभग 84,79,562 (वर्ष 2001) है। प्रदेश की मूल आर्थिक व्यवस्था मुख्यतया कृषि, वानिकी एवं पशुपालन

पर आधारित है तथा इसके विकास की प्रचुर संभावनाएं अनुभव की जा रही हैं। मैदानी तथा पर्वतीय दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होने के कारण उत्तरांचल राज्य में न केवल कृषि एवं पशुपालन में पर्याप्त विविधता है अपितु इनके उत्पादन एवं उत्पादकता में भी काफी अंतर है। उदाहरणार्थ–दूध एवं अन्य पशुधन जन्य उत्पादों का उत्पादन मैदानी क्षेत्रों के सापेक्ष पर्वतीय क्षेत्रों में काफी कम है।

उत्तरांचल की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों में अंतर तथा पर्यावरणीय संतुलन को दृष्टिगत रखते हुए पशुधन जन्य उत्पादन में वृद्धि एवं उसके पोषण सुरक्षा तथा रख–रखाव की सुनिश्चित करने हेतु उत्तरांचल पशुधन प्रजनन नीति, 2005 तैयार की गई है।

वर्तमान स्थिति

1. वर्ष 2003 की पशुधन गणना के अनुसार राज्य में 21.88 लाख गाय, 12.28 लाख भैंस, 11.58 लाख बकरियां, 2.96 लाख भेड़ एवं 19.84 लाख मुर्गी/कुक्कुट थे। उत्तरांचल में संकर गायों की संख्या 2.28 लाख है, जो कुल संख्या का मात्र 10.42% ही है। प्रजनन योग्य मादा गायों की संख्या वर्ष 2003 में 7.58 लाख थी, जिनमें 6.51 लाख देसी और अज्ञातकुल तथा 1.07 लाख संकरित थी। प्रदेश में प्रजनन योग्य मादा भैंसें लगभग 7.37 लाख हैं। राज्य में प्रति गाय प्रति दिन औसत दुग्ध उत्पादन 1.75 कि0ग्रा0 एवं प्रति भैंस औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन 2.97 कि0ग्रा0 है।

2. इस तरह उत्तरांचल राज्य में पशुधन की विभिन्न प्रजातियों की संख्या संबंधी प्राथमिक/बुनियादी आंकड़ें उपलब्ध हैं, और विभिन्न कृषि–वर्गों में पशुधन के वितरण तथा आजीविका में पशुधन की प्रासंगिकता, पशुधन उत्पादन मात्रा तथा मूल्य एवं पशुधन का राज्य की आर्थिक स्थिति (सकल घरेलू उत्पाद) में महत्वपूर्ण योगदान है।

3. राज्य में भूमि उपयोग का तरीका (वनों तथा पहाड़ी भू–भाग की अधिकता के कारण कृषि भूमि का सीमित होना), अपेक्षाकृत अधिक वर्षा, प्राकृतिक पशुचारित भूमि की पर्याप्तता, अनुकूल जलवायु आदि कारक उत्तरांचल में पशुधन उत्पादन के अपार अवसर उत्पन्न करते हैं।

4. दूध अण्डा, कुक्कुट मांस एवं अन्य पशुजन्य भोज्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करने, मानव आहार में पशुजन्य प्रोटीन की मात्रा में अभिवृद्धि करने, पशु जैविक विविधता संरक्षण को प्रोत्साहित करने और पशुधन एवं कुक्कुट की स्थानीय नस्लों के संरक्षण के साथ–साथ संकर प्रजनन को कम उत्पादक पशुओं तक सीमित रखने, पशुओं के संचारी रोगों एवं जीवाणुओं/विषाणुओं के नियंत्रण व उन्मूलन तथा पशुओं के भरण–पोषण और उत्पादन में वृद्धि हेतु पशु आहार तथा पशु चारा स्रोतों में बढ़ोत्तरी करने के साथ–साथ पशुपालकों को रोजगार/स्वरोजगार के संसाधन उपलब्ध करवाकर उनकी आय में वृद्धि हेतु यह पशुधन प्रजनन नीति राज्य की आवश्यकता बन गई है।

5. यह नीति प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रजनन नीति, उत्तरांचल कृषि नीति में समाहित पशुधन प्रजनन नीति के महत्वपूर्ण बिन्दुओं एवं पशु प्रजनन विशेषज्ञों की अध्ययन रिपोर्ट और स्थानीय/क्षेत्रीय अनुभवों के आधार पर जारी हो रही है।

पशुधन प्रजनन नीति की परिकल्पना

1. पशुपालन को प्रदेश में स्वरोजगार एवं अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार बनाकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (G.D.P.) में वृद्धि करना।

2. पशुपालकों को उन्नत नस्ल एवं उत्तम गुणवत्ता के पशु उपलब्ध कराना।

3. पशुनस्ल सुधार हेतु विभिन्न पशु प्रजनन विधाओं, (कृत्रिम गर्भाधान/नैसर्गिक अभिजनन/भ्रूण प्रत्यारोपण) के माध्यम से चरणबद्ध रूप से वर्तमान 24 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2015 के अन्त तक शत–प्रतिशत प्रजनन योग्य पशुओं को संगठित पशु प्रजनन कार्यक्रम से आच्छादित करके पशुधन प्रजनन की सुविधा पशुपालक के द्वार पर उपलब्ध करना।

4. दूध, अण्डा, कुक्कुट, मांस एवं अन्य पशुजन्य भोज्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करके प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी करना।

5. पशुधन विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोत्तरी करना।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

1. पशुपालन को प्रदेश में स्वरोजगार एवं अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार बनाना।

2. पशुपालकों को उन्नत नस्ल एवं उत्तम गुणवत्ता के पशु उपलब्ध करवाकर उनकी आय में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार/स्वरोजगार के संसाधन सुलभ कराना।

3. पशुओं के अनुवांशिक गुणों में वृद्धि करना तथा पशुधन की स्थानीय नस्लों को संरक्षित/सुरक्षित रखने के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करना।

4. दुध, अंडा, कुक्कुट मांस एवं अन्य पशुजन्य भोज्य पदोर्थों के उत्पादन में वृद्धि करना तथा मानव आहार में पशुजन्य प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करना।

5. पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कार्य/भारवाहन हेतु पर्याप्त मात्रा में हृष्ट–पुष्ट बैलों की नियमित आपूर्ति का सृजन सुनिश्चित करना।

6. मैदानी क्षेत्र को डेयरी उद्यम से आच्छादित करने हेतु उच्च दुग्ध उत्पादन, शीघ्र परिपक्वता, कम इंटर कार्विंग अवधि और उच्च जनन क्षमता से युक्त इंटर–सि–मेटिंग हाफब्रेड दुधारू पशुओं की संख्या में अभिवृद्धि करना।

7. ज्ञात कुल की गोवंशीय देशी नस्लों (रेड सिन्धी, साहीवाल तथा हरियाणा आदि), जिनकी संख्या राज्य में अत्यंत कम है, के लिये उसी नस्ल के शुद्ध सांडों का वीर्य उपलब्ध करवाकर इन प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित करना।

8. उत्तम ऊन विकास के लिए प्रयास करने के साथ ही गुणवत्तायुक्त ऊन एवं कालीन (कारपेट) ऊन के उत्पादन में वृद्धि लाना।

9. विद्यमान अवस्थापना यथा–पशु चिकित्सालयों, टीका एवं नैदानिक उत्पादन की इकाइयों, वीर्य उत्पादन केन्द्रों तथा कृत्रिम गर्भाधन केन्द्रों, गौशालाओं, पशुधन तथा कुक्कुट प्रजनन प्रक्षेत्रों के प्रभावी उपयोग हेतु उनका पुनर्सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण करना।

10. प्राइवेट सेक्टर, सहकारिताओं तथा गैर सरकारी संगठनों को आवश्यक निवेशों तथा सेवाओं के लिये प्रोत्साहित करना।

11. पशुधन विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोत्तरी तथा ग्रामीण पशुपालकों को पोषण समर्थन एवं उनकी पूरक आय में वृद्धि करना तथा उनके लिए ग्रामीण परिवेश में रोजगार के संसाधन उत्पन्न/सृजित करना।

12. पशुओं के भरण–पोषण उत्पादन में वृद्धि के लिए पशु आहार तथा चारा स्रोतों में बढ़ोत्तरी करना और उनके लिए सस्ता पशु आहार विकसित करना।

पशुधन प्रजनन नीति

गौ एवं महिषवंशीय पशु

1. पर्वतीय क्षेत्र में बैल कृषि की रीढ़ है। इसलिये कृषि कार्य/भारवाहक पशु उत्पादन हेतु 1500 मी० से अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में संस्तुत पशु प्रजनन नीति पर्वतीय क्षेत्र के अज्ञात कुल (Non-Descript) गोवंशीय पशुओं में से चयनित अभिजनन (Selective Breeding) की होनी चाहिये।

2. पर्वतीय जनपदों में दुधारु पशुओं के लिये यह नीति अपनाई जाय कि स्थानीय अवर्गीकृत (Non-Descript) देशी गाय के प्रजनन/उन्नयन हेतु जर्सी के साथ क्रास ब्रीडिंग तत्पश्चात एफ 1 हाफ ब्रेड का परस्पर समागम (Inter-Se-Mating) जर्सी × साहीवाल अथवा जर्सी × रेड सिन्धी के साथ कराया जाये, जिससे Exotic blood level को 50 प्रतिशत तक सीमित किया जा सके।

3. मैदानी क्षेत्रों में दुधारु पशुओं के लिये यह नीति होनी चाहिए कि अज्ञात कुल के स्थानीय अवर्गीकृत (Non-Descript) देशी गाय के प्रजनन हेतु एच०एफ० से क्रास ब्रीडिंग और इसके बाद हाफ ब्रेड (एच०एफ० × साहीवाल/एच०एफ० × रेड सिन्धी/एच०एफ० × थारपारकर) का परस्पर समागम (Inter-Se-Mating) कराया जाये जिससे Exotic blood level को 50 प्रतिशत तक सीमित किया जा सके।

4. भैंसों के लिये सम्पूर्ण राज्य में शुद्ध मुर्रा नस्ल के साथ उन्नयन (Upgrading) किये जाने की सार्वभौमिक नीति अपनाई जानी चाहिए।

5. परस्पर समागम (Inter-Se-Mating) के लिये प्रयुक्त होने वाले सभी सांड क्रासब्रेड (50 : 50) हों तथा भैंस के प्रजनन हेतु अनुवांशिक आधार पर मूल्यांकित (Pedigreed) भैंसा सांड हों।

6. ज्ञात कुल की गौवंशीय देशी नस्लों (रेड सिन्धी, साहीवाल तथा हरियाणा) के लिये उसी नस्ल के शुद्ध सांडों का वीर्य उपलब्ध कराकर इन प्रजातियों का संरक्षण तथा संवर्धन सुनिश्चित किया जाना है।

7. राष्ट्रीय महत्व की विलुप्तप्राय रेड सिन्धी नस्ल को संरक्षित एवं संवर्द्धित करने के लिए पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कालसी को रेड सिन्धी नस्ल के न्यूकलियस ब्रीडिंग फार्म के रूप में विकसित करके इस नस्ल को Propagate किया जाय।

8. उत्तरांचल में पशुधन की स्थानीय प्रजातियों यथा-तराई नस्ल की भैंस के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये विशेष प्रयास करने हैं।

9. संक्षेप में गौवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं की प्रजनन नीति का नियोजन निम्नवत् किया जायेगा :

क्र0 सं0	जोन का नाम	प्रजनन नीति	विवरण
1.	जोन ए : 1000 मी0 ऊंचाई तक-ट्रॉपिकल जोन, मैदान, तराई, भावर, शिवालिक हिल एवं घाटियां	गाय : 1. स्थानीय अवर्गीकृत (Non-Descript) गाय का शुद्ध होल्स्टीन फ्रीजियन के साथ संकरण 2. एफ, के साथ (होल्स्टीन फ्रीजियन × साहीवाल/होल्स्टीन × रेड सिन्धी/होल्स्टीन फ्रीजियन × थारपारकर) का परस्पर समागम (Inter-Se-Mating) 3. ज्ञात कुल की देशी शुद्ध नस्लों (रेड सिन्धी, साहीवाल एवं हरियाणा) का उसी नस्ल के शुद्ध सांड के वीर्य से संकरण/उन्नयन	क. जर्सी नस्ल चुनने वाले को जर्सी एवं क्रासब्रेड जर्सी वीर्य उपलब्ध कराया जायेगा ख. ज्ञात कुल की शुद्ध देसी नस्ल की गायों का संकरण उसी नस्ल के शुद्ध सांड के वीर्य से किया जायेगा
		भैंस : शुद्ध मुर्रा वीर्य से अपग्रेडिंग	राज्य भर में भैंस हेतु सार्वभौमिक नीति
2.	जोन बी : 1000 से 1500 मी0 ऊंचाई तक-सबट्रॉपिकल जोन	गाय : 1. शुद्ध जर्सी नस्ल से स्थानीय अवर्गीकृत (Non-Descript) गाय का संकरण 2. एफ, के साथ (जर्सी × साहीवाल/जर्सी × रेड सिन्धी) का परस्पर समागम (Inter-Se-Mating) 3. ज्ञात कुल की देशी शुद्ध नस्लों (रेड सिन्धी, साहीवाल एवं हरियाणा) का उसी नस्ल के शुद्ध सांड के वीर्य से संकरण/उन्नयन	क. होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल चाहने वालों को होल्स्टीन फ्रीजियन एवं क्रासब्रेड होल्स्टीन फ्रीजियन का वीर्य उपलब्ध कराया जायेगा ख. ज्ञात कुल की शुद्ध देसी नस्ल की गायों का संकरण उसी नस्ल के शुद्ध सांड के वीर्य से किया जायेगा
		भैंस शुद्ध मुर्रा वीर्य से अपग्रेडिंग	राज्य भर में भैंस हेतु सार्वभौमिक नीति

क्र0 सं0	जोन का नाम	प्रजनन नीति	विवरण
3.	जोन सी : 1500 से 2400 मी0 ऊंचाई तक–कूल टेम्परेट जोन	गाय : 1. स्थानीय अवर्गीकृत (Non-Descript) गाय में चयनित प्रजनन (Selective Breeding)	क. जर्सी नस्ल चुनने वाले को जर्सी एवं क्रासब्रेड जर्सी वीर्य उपलब्ध कराया जायेगा
		2. ज्ञात कुल की देशी शुद्ध नस्लों (रेड सिन्धी, साहीवाल एवं हरियाणा) का उसी नस्ल के शुद्ध सांड के वीर्य से संकरण	ख. ज्ञात कुल की शुद्ध देसी नस्ल की गायों का संकरण उसी नस्ल के शुद्ध सांड के वीर्य से किया जायेगा
		भैंस : शुद्ध मुर्रा वीर्य से अपग्रेडिंग	राज्य भर में भैंस हेतु सार्वभौमिक नीति
2.	जोन डी : 2400 मी0 ऊंचाई से अधिक–सबएल्पाइन एवं एल्पाइन जोन	गाय : स्थानीय अवर्गीकृत (Non-Descript) गाय में चयनित प्रजनन (Selective Breeding)	जर्सी नस्ल चुनने वाले को जर्सी एवं क्रासब्रेड जर्सी वीर्य उपलब्ध कराया जायेगा
		भैंस : शुद्ध मुर्रा वीर्य से अपग्रेडिंग	राज्य भर में भैंस हेतु सार्वभौमिक नीति

नोटः वे क्षेत्र जहां कृत्रिम गर्भाधान प्रस्तावित/प्रचलित नहीं हैं, प्रजनन नीति के लिए गाय/भैंसों में नैसर्गिक अभिजनन हेतु गाय/भैंसा सांड का उपयोग होगा।

भेड़, बकरी एवं अंगोरा शशक प्रजनन नीति

1. उत्तरांचल में भेड़ों की कुल जनसंख्या का एक तिहाई संकर नस्ल की भेड़ें हैं, जिन्हें मेरीनो/रैम्बुले नस्ल के शुद्ध वंशीय मेढ़ों से संकर प्रजनन (Cross Breeding) कराते हुए नस्ल का (Upgradations) किया जाना है।

2. शुद्ध स्थानीय नस्ल (गद्दी, रामपुर बुशायर, काली भेड़) के मध्य उन्नत गुणवत्ता वाले मेढ़ों को चयनित करते हुए चयनित प्रजनन पद्धति (Selective Breeding) अपनायी जायेगी।

3. बकरी प्रजनन नीति के अन्तर्गत स्थानीय नस्ल के मध्य चयनित प्रजनन (Selective Breeding) किया जायेगा। मैदानी क्षेत्रों में बरबरी व जमुनापारी नस्ल से क्रास ब्रीडिंग/अपग्रेडिंग किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्र में मोहेर के उत्पादन हेतु स्थानीय बकरियों में अंगोरा बकरे से प्रजनन कराया जाय और अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, ग्वालदम (चमोली) में उपलब्ध जर्मप्लाज्म के अन्तर्गत इनब्रीडिंग समाप्त करने हेतु अंगोरा बकरी के हर्ड को Replace किया जायेगा। बर्फीले अर्थात् उच्च तुंगता (High Altitude) वाले स्थानों पर पश्मीना बकरी के विकास सम्बन्धी प्रजनन कार्यक्रम चलाया जायेगा।

4. शशक प्रजनन नीति के अन्तर्गत अंगोरा जर्मन शशकों के मध्य चयनित प्रजनन (Selective Breeding) किया जायेगा तथा अंगोरा शशक प्रजनन हेतु इसके जर्मप्लाज्म का आयात किया जायेगा और इनब्रीडिंग को रोकने के लिए इनकी Pure Line Breeding Adopt की जायेगी, जिसमें दो लाईन नर एवं दो लाईन मादा की रखी जायेगी।

सूकर प्रजनन नीति

1. पशु गणना 2003 के अनुसार प्रदेश में सूकरों की कुल संख्या 32712 है। पर्वतीय क्षेत्र में सूकर पालन को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नही है, यद्यपि प्रदेश में इसके विकास की अपार सम्भावनाएं हैं।

2. सूकर प्रजनन नीति के लिए चयनित विदेशी ब्रीड–याक शायर/लार्ज व्हाइट याक शायर (दोनों प्रजातियां भारत में उपलब्ध हैं) के साथ नैसर्गिक अभिजनन द्वारा अपग्रेडिग, की जायेगी।

भार वाहक पशु प्रजनन नीति

पैक एनिमल (घोड़े, खच्चर, गधे) की प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में व्यापक मांग एवं आवश्यकताओं को देखते हुए पशुपालकों को उनके प्रजनन हेतु राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों, मिलिट्री फार्म आदि के सहयोग से नैसर्गिक अभिजनन के साथ–साथ कृत्रिम गर्भाधान की भी सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे उत्तम गुणवत्ता के घोड़े, खच्चर एवं गधों का उत्पादन एवं प्रजनन किया जा सके।

याक प्रजनन नीति

याक पशुओं हेतु राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों एवं अन्य पर्वतीय राज्यों से उत्तम गुणवत्ता के याक सांडों की आपूर्ति करके उनके प्रजनन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

कुक्कट प्रजनन नीति

1. कॉमर्शियल हाईब्रिड पोल्ट्री का प्रजनन पोल्ट्री उद्योग के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि उनके पास इस हेतु उत्कृष्ट संसाधन हैं। अतः कामर्शियल पोल्ट्री ब्रीड्स का प्रजनन कार्य इस क्षेत्र में कार्यरत निजी संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

2. घरेलू कुक्कुट पालन हेतु स्थानीय देशी (Non-Descript) ब्रीड के कुक्कुटों में चयनित प्रजनन (Selective Breeding) किया जायेगा तथा भारतीय परिवेश की स्थानीय ब्रीड को संरक्षित किया जायेगा।

3. कुक्कुट पालकों को स्वरोजगार हेतु क्रॉयलर (Kuroiler) चूजों के उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्था की जायेगी तथा Dual Purpose Breed को बढ़ावा दिया जायेगा।

पशुधन प्रजनन नीति का क्रियान्वयन

1. पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु स्वस्थ एवं ह्रष्ट–पुष्ट बैलों की आपूर्ति के लिए स्थानीय अवर्गीकृत (Non-descript) गौवंशीय पशुओं में से उनकी गुणवत्ता के आधार पर नर–मादा का चयन करके Selective Breeding की जायेगी।

2. गौ एवं महिषवंशीय पशुओं के प्रजनन हेतु पशु प्रजनन नीति के अनुसार उत्तम नस्ल के Pedigreed/Progeny Tested सांडों का फ्रोजन सीमेन तथा सांडों का उपयोग किया जायेगा।

3. राज्य के मैदानी क्षेत्रों के लिए 1000 एवं पर्वतीय क्षेत्रों हेतु 750 प्रजनन योग्य पशुओं पर एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/प्राइवेट ए०आई० कार्यकर्ता उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे वर्ष 2015 तक संगठित पशु प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त प्रजनन योग्य पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पशुपालक के द्वार पर उपलब्ध कराई जायेगी।

4. पशुपालकों को उत्तम पशुओं के उत्पादन हेतु प्रजनन, चिकित्सा, टीकाकरण, डिवर्मिंग, चारा उत्पादन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ निकृष्ट सांडों/मेढ़ों/बकरों का बधियाकरण किया जायेगा।

5. उत्तम दुधारु पशुओं को फील्ड परफॉर्मेन्स रिकार्डिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकृत करके पशुपालकों को उनके क्रय–विक्रय में सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे उन्हें अपने पशु एवं उनकी संततियों का समुचित मूल्य मिल सके।

6. पशुधन से सम्बन्धित आंकड़ों के रख–रखाव एवं उनका अभिलेखीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत गोवंशीय/महिषवंशीय पशुओं की फील्ड परफोर्मेन्स रिकार्डिंग/प्रोजनी टैस्टिंग करके जनहित में उनकी सायर डायरेक्ट्री तैयार करवाई जायेगी।

7. गाय एवं भैंस की स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण हेतु उनके उत्तम गुणवत्ता वाले सांडों का चयन करके अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन किया जायेगा, जिससे कृत्रिम गर्भाधान तकनीक द्वारा स्थानीय नस्ल का उन्नयन (Upgrading) किया जा सके।

8. क्रासब्रेड भेड़ों की Upgrading हेतु मेरिनो एवं रैम्बुले नस्ल के शुद्ध वंशीय मेढ़ें उपलब्ध/वितरित कराये जायेंगे, जिससे ऊन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

9. शुद्ध स्थानीय नस्ल की भेड़ों हेतु उन्नत गुणवत्ता वाले मेढ़ों का चयन करके प्रजनन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

10. बकरियों हेतु स्थानीय प्रजाति के ही उत्तम गुणवत्ता वाले बकरों का चयन करके प्रजनन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

11. शशकों के प्रजनन हेतु उत्तम गुणवत्ता वाले नर अंगोरा जर्मन शशकों का चयन करके प्रजनन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

12. सूकरों के प्रजनन हेतु उत्तम गुणवत्ता वाले नर याक शायर/लार्ज व्हाइट याक शायर उपलब्ध कराये जायेंगे।

13. खच्चर, उत्पादन हेतु स्थानीय घोड़ियों के नैसर्गिक अभिजनन हेतु उत्तम गुणवत्ता वाले Donkey Stallion अथवा कृत्रिम गर्भाधान हेतु उत्तम गुणवत्ता वाले Donkey Stallion का अतिहिमीकृत वीर्य उपलब्ध करवाया जायेगा।

14. याक पशुओं हेतु उत्तम गुणवत्ता के याक सांडों की आपूर्ति करके उनके प्रजनन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

15. कामर्शियल हाईब्रिड पोल्ट्री का प्रजनन कार्य इस क्षेत्र में कार्यरत निजी संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

16. घरेलू कुक्कुट पालन हेतु स्थानीय अवर्गीकृत (Non-Descript) देशी ब्रीड के कुक्कुटों में चयनित प्रजनन (Selective Breeding) किया जायेगा और देश की अन्य उत्तम कुक्कट प्रजातियों यथा–पंजाब ब्राउन, शुद्ध असील या उनकी संकर नस्लों की केन्द्रीय संस्थानों एवं अन्य राज्यों से आपूर्ति करके उनका उत्पादन किया जायेगा और नस्ल सुधार हेतु कुक्कुट पालकों में उनका वितरण किया जायेगा।

17. स्वरोजगार हेतु क्रॉयलर (Kuroiler) चूजों के उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

18. सहकारिताओं, स्वैच्छिक संगठनों, नस्ल सुधार समितियों तथा कृषकों/पशुपालकों को उत्पादन क्षमता में सुधार हेतु सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा तथा पशुधन विकास से सम्बन्धित अनुसंधान प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षण संस्थानों एवं मानव संसाधन विकास केन्द्रों की स्थापना पर बल दिया जायेगा।

19. प्राइवेट सेक्टर तथा गैरसरकारी संगठनों को आवश्यक निवेशों तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा प्रोत्साहित किया जायेगा।

20. विभागीय अवस्थापना यथा–पशुचिकित्सालयों, नैदानिक उत्पादन इकाइयों, वीर्य उत्पादन केन्द्रों, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों, गौशालाओं, पशुधन तथा कुक्कुट प्रजनन प्रक्षेत्रों और प्रदर्शन इकाइयों के प्रभावी उपयोग के लिये इनका पुनर्सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण किया जायेगा और पशुधन सेक्टर में प्रसार सम्बन्धी अवस्थापना में भी मौलिक सुधार किया जायेगा।

21. इस नीति के कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर आवश्यकतानुसार शासन, विभाग, एवं विभिन्न संस्थाओं/बोर्डों, स्वैच्छिक संस्थाओं एवं लाभार्थियों/पशुपालकों के मध्य मेमोरेण्डम ऑफ अन्डरस्टैन्डिंग (MOU) भी किया जायेगा, जिससे पशुधन प्रजनन नीति का तीव्रतर कार्यान्वयन संभव हो सके।

(आधारभूत सूचनाएं)

उद्देश्य– प्रदेश में पशुपालन को रोजगार परक धंधे के रूप में प्रोत्साहित करना।

रणनीति– पशुचिकित्सालयों, पशुसेवा केन्द्रों, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों / उपकेन्द्रों आदि विभागीय संस्थाओं के माध्यम से पशुपालकों को पशुचिकित्सा एवं पशु प्रजनन की सुविधा उपलब्ध कराना।

लक्ष्य– दूध, ऊन, अण्डा, मांस आदि पशुजन्य उत्पादों के औसत उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि कर पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभान्वित करना।

स्थापना– 1944।

मुख्यालय– गोपेश्वर (चमोली)।

विभागीय संस्थाएं एवं पशु गणना (2003) :

क्रमांक	विवरण	संख्या	क्रमांक	विवरण	संख्या
1.	पशुचिकित्सालय	291	15.	सूकर प्रक्षेत्र	02
2.	पशुऔषधालय	584	16.	ऊन श्रेणीकरण केन्द्र	01
3.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	413	17.	गोवंशीय पशु	21.882 लाख
4.	रोग निदान प्रयोगशाला	04	18.	महिषवंशीय पशु	12.282 लाख
5.	पशुधन प्रक्षेत्र	02	19.	भेड़	2.958 लाख
6.	भेड़ प्रक्षेत्र	14	20.	बकरी	11.583 लाख
7.	अंगोरा बकरी प्रक्षेत्र	01	21.	घोड़ा / टट्टू	0.174 लाख
8.	अंगोरा शशक प्रक्षेत्र	05	22.	खच्चर	0.217 लाख
9.	कुक्कुट प्रक्षेत्र	04	23.	सूकर	0.37 लाख
10.	सघन कुक्कुट विकास प्रयोजना	08	24.	गधा	0.007 लाख
11.	भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र / मेढ़ा केन्द्र	113	25.	याक	0.003 लाख
12.	तरल नत्रजन उत्पादन केन्द्र	01	26.	कुत्ता	2.68 लाख
13.	बछड़ा पालन केन्द्र	01	27.	खरगोश	0.07 लाख
14.	अश्व प्रजनन इकाई	01	28.	कुक्कुट पक्षी	19.84 लाख

योजनाएं–

- पशुचिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य सेवायें
- गाय एवं भैंस विकास
- कुक्कुट विकास
- भेड़ एवं ऊन विकास
- सूकर विकास
- अन्य पशुधन विकास
- चारा एवं चारागाह विकास
- अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना

संचालित कार्यक्रम–

- पशुचिकित्सा
- कृत्रिम गर्भाधान
- टीकाकरण
- बधियाकरण
- चारा बीज वितरण
- कुक्कुट वितरण
- दवापान
- दवास्नान

उत्तरांचल राज्य की जनपदवार पशुधन गणना–2003

क्र० सं०	जनपद का नाम	गोवंशीय	महिषवंशीय	भेड़	बकरी	घोड़े–टट्टू	सूकर	अन्य पशु	कुल पशु	कुत्ते	खरगोश	कुक्कुट	अन्य कुक्कुट	कुल कुक्कुट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	अल्मोड़ा	237743	109728	4890	171732	916	771	646	526426	19301	421	62567	12	62579
2.	बागेश्वर	121121	42250	19983	81105	322	72	1405	266258	9432	97	14724	13	14737
3.	नैनीताल	170583	123106	178	63207	2728	1176	1102	362080	40952	735	216729	194	216923
4.	ऊधमसिंह नगर	123951	175905	2157	44514	1327	2646	303	350803	37335	416	981860	15864	997724
5.	पिथौरागढ़	240748	86877	32804	145173	1043	151	1343	508139	16149	1289	50478	28	50506
6.	चम्पावत	99637	37621	58	48492	982	605	212	187607	9714	314	56324	334	56658
7.	देहरादून	187908	71685	22176	116672	2571	7273	1494	409779	39864	260	359300	331	359631
8.	पौड़ी	357553	66372	33963	150575	1210	980	2746	613399	20030	694	68557	54	68611
9.	टिहरी	123160	115050	14811	101981	1443	2065	3621	362131	14409	1204	29393	0	29393
10.	उत्तरकाशी	106827	38690	101268	95593	1489	480	4818	349165	6932	50	39429	0	39429
11.	चमोली	188455	55153	45651	78162	1246	374	3774	372815	14378	964	18864	0	18864
12.	रुद्रप्रयाग	102428	37222	15636	39726	469	130	1212	196823	5026	239	5606	0	5606
13.	हरिद्वार	128068	268535	2270	21265	1675	15989	102	437904	32314	166	63201	121	63322
	योग राज्य	2188182	1228194	295845	1158197	17421	32712	22778	4943329	265836	6849	1967032	16951	1983983

उत्तरांचल पशु गणना में प्राप्त परिवर्तन दर

(लाख में)

क्रमांक	प्रजाति	1993	1997	% अन्तर	2003	% अन्तर	वार्षिक अन्तर %
1.	गाय	21.324	20.309	(–) 4.76	21.882	(+) 7.75	(+) < 1
2.	भैंस	10.641	10.943	(+) 2.83	12.282	(+) 12.24	(+) < 2
3.	भेड़	3.594	3.107	(–) 13.55	2.958	(–) 4.80	(–) < 1
4.	बकरी	10.975	10.857	(–) 1.08	11.581	(+) 6.67	(+) < 1
5.	घोड़े/खच्चर/गर्दभ	0.202	0.236	(+) 16.44	0.398	(+) 66.53	(+) < 10
6.	सूकर	0.252	0.315	(+) 24.72	0.327	(+) 3.81	(+) > 01
7.	कुक्कुट	8.454	9.723	(+) 15.00	19.84	(+) 104.05	(+) < 17

उत्तरांचल में प्रजनन योग्य गाय एवं भैंसों की गणना में प्राप्त परिवर्तन दर

(संख्या)

क्रमांक	प्रजाति		नस्ल	पशु गणना 1997	पशु गणना 2003	% अन्तर
1.	गाय–	क्रॉसब्रीड	जर्सी		77488	
			एच0एफ0		16353	
			अन्य		13160	
		योग		46301	107001	(+) 131 %
2.	गाय–	देसी	हरियाणा		5187	
			साहीवाल		3957	
			रेड सिन्धी		1499	
			अवर्गीकृत		640024	
		योग		625000	650667	(+) 4 %
	कुल प्रजनन योग्य गाय			671301	757668	(+) 12 %
3.	भैंस		मुर्रा		97655	
			भदावरी		17977	
			अन्य		620888	
	कुल प्रजनन योग्य भैंस			655071	736520	(+) 12 %
	कुल प्रजनन योग्य योग (गाय + भैंस)			1326372	1494188	(+) 12 %

उत्तरांचल में दुग्ध उत्पादन (1997–2004)

(000' मीट्रिक टन)

1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04
856.23	916.64	952.45	1025.97	1066.00	1079.00	1188.00

उत्तरांचल लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड
(UTTARANCHAL LIVESTOCK DEVELOPMENT BOARD)

उद्देश्य : सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य के पशुधन (गाय एवं भैंस) के प्रजनन/नस्ल सुधार एवं प्रबन्धन को नवीनतम तकनीक द्वारा बढ़ावा देना एवं इससे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को स्वावलम्बी बना कर पशुधन उत्पादों में वृद्धि करना।

परिचय :

- स्थापना – जुलाई 2002।
- मुख्यालय – 233/1, वसन्त विहार, देहरादून।
- पंजीकरण संख्या – 343 दिनांक 27.06.2001 (सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत)।
- प्रायोजक – भारत सरकार की राष्ट्रीय गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन परियोजना।
- लागत – 607.8 लाख रुपये।

शाखाएं–

उत्तरांचल लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

- अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, श्यामपुर (ऋषिकेश)
- सीमेन बैंक, श्यामपुर (ऋषिकेश) एवं लालकुंआ (नैनीताल)
- प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक (ऋषिकेश)
- भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र, लालकुंआ, (नैनीताल)
- पशु प्रजनन फार्म, कालसी (देहरादून)

संचालित कार्यक्रम :

- अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन कार्यक्रम–आई0एस0ओ0 प्रमाणित केन्द्र द्वारा उच्च गुणवत्ता के अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन कर कृत्रिम गर्भाधान इकाइयों को वितरित करना।
- कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम–पशुपालक के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पशुपालन विभाग, प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं एवं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ आदि के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों / पैरावेटस / इकाइयों को अतिहिमीकृत वीर्य, तरल नत्रजन एवं अन्य इनपुटस आदि की निरन्तर नियमित अन्तराल पर आपूर्ति करना व उनके द्वारा किये गये कार्यों का पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना।
- नैसर्गिक अभिजनन कार्यक्रम–पशुपालन विभाग एवं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों आदि की संस्तुति के अनुसार पर्वतीय जनपदों के पशुपालकों को दरिन्दा पद्धति पर उच्च गुणवत्ता वाले गाय एवं भैंसा सांडों की आपूर्ति करना व उनके द्वारा किये गये कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम–पशुपालन व्यवसाय से जुड़े कृषकों, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं, सरकारी व गैर सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों आदि को उत्तरांचल लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्र अथवा अन्य ख्याति प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों से नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण करवाना।
- भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम–पशुपालक के द्वार पर भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक द्वारा उच्चतम गुणवत्ता के पशुओं का उत्पादन करना।
- फील्ड परफार्मेन्स रिकार्डिंग कार्यक्रम–पशुपालकों के उत्तम दुधारु पशुओं (गाय एवं भैंस) की सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन योजना के अनुसार मिल्क रिकार्डिंग करना जिससे उनके क्रय–विक्रय में सुविधा प्रदान करके पशुपालकों को लाभान्वित किया जा सके और उन्हें अपने पशु का समुचित मूल्य मिल सके।
- चारा विकास कार्यक्रम–
    - प्रत्येक पर्वतीय जनपद में चयनित वन पंचायतों में बहुवर्षीय अल्पाइन चारा घासों, नैपियर तथा गुणी घासों आदि के प्रदर्शन एवं वितरण हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस का विकास करना।
    - भूसा तथा पुआल को पौष्टिक, सुपाच्य तथा परिवहन योग्य बनाने के लिये पांच–पांच किलोग्राम भार वाले काम्पैक्ट फीड सप्लीमेन्ट ब्लाक का निर्माण करना।
    - 2.5 कि0ग्रा0 भार के पशु चाटन (Urea-Molasses Brick) का निर्माण करना।

उत्तरांचल शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड

(Uttaranchal Sheep & Wool Development Board)

उद्देश्य– उत्तरांचल में भेड़ों की मृत्यु दर कम करने हेतु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम संचालन, बीमारियों की रोकथाम, टीकाकरण तथा नस्ल सुधार कर भेड़पालकों द्वारा उत्पादित ऊन एवं अन्य उत्पाद का उचित मूल्य दिलाकर, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। नई तकनीक की जानकारी देकर भेड़ पालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना तथा उनके स्वयं सहायता समूह/संगठन/समितियां बनाने में सहयोग करना।

परिचय–

- ❊ स्थापना – अक्टूबर 2003।
- ❊ मुख्यालय – देहरादून।
- ❊ पंजीकरण संख्या – 1998 दिनांक 31.10.2003 (सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सं० 1860 के अन्तर्गत)।

संचालित कार्यक्रम–

❊ बोर्ड द्वारा 12 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, 01 अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, 05 अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्र, 01 रोग निदान प्रयोगशाला, 01 ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, 01 ऊन श्रेणीकरण/क्रय–विक्रय केन्द्र तथा 03 सचल बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों को पशुपालन विभाग के सहयोग से संचालित करना।

❊ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम–भेड़ों में दवापान, दवास्नान, चिकित्सा, निकृष्ट मेढ़ों में बधियाकरण तथा भेड़ों का टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करना।

❊ नस्ल सुधार कार्यक्रम–राज्य के प्रगतिशील भेड़पालकों को उनकी भेड़ों के नस्ल सुधार हेतु उन्नत प्रजनन हेतु मेढ़ों का निःशुल्क वितरण।

❊ उत्पादकता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत :

- भेड़ों को ऊन कतरन से पूर्व नहलाये जाने हेतु भेड़पालकों को शिक्षित/जागरूक करना।
- ऊन ग्रेडिंग कार्यक्रम में भेड़ों से प्राप्त ऊन की प्राथमिक ग्रेडिंग का कार्य प्रारम्भ कराना।
- मशीन द्वारा ऊन कतरने/काटने के लिए भेड़पालकों को शिक्षित एवं जागरूक करना।
- उत्पादित होने वाली ऊन के विपणन में भेड़पालकों को अपेक्षित सहायता एवं मार्ग दर्शन देना।
- भेड़पालकों को ग्राम स्तर पर भेड़ों से सम्बन्धित नवीनतम तकनीक की जानकारी देना, भेड़ों के प्रबन्धन, प्रमुख रोग एवं उनका निदान तथा मशीन द्वारा ऊन कतरन आदि विषयों पर भेड़पालकों प्रशिक्षित/जागरूक/शिक्षित करना।
- भेड़पालकों के स्वयं सहायता समूह गठन तथा गैर राजकीय संस्थाओं के चयन/गठन में सहयोग करना।
- कालसी (देहरादून), मुनिकीरेती (टिहरी), डुण्डा (उत्तरकाशी), मुन्स्यारी (पिथौरागढ़), ग्वालदम (चमोली) में पांच नये भेड़ बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों की स्थापना कर उन्हें संचालित करना।

डेयरी विकास विभाग

(आधारभूत सूचनाएं)

उद्‌देश्य— भूमिहीन, सीमान्त लघु ग्रामीण कृषकों/दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध सहकारिताओं के माध्यम से संगठित कर उनका सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान करना।

रणनीति— ग्रामीण स्तर पर गठित सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को उनके द्वारा उत्पादित दूध का उचित मूल्य देकर बिचोलियों के शोषण से मुक्ति दिलाना।

लक्ष्य— उपभोक्ताओं को उत्तम गुणवत्ता का दूध एवं दुग्ध पदार्थ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना।

मुख्यालय— हल्द्वानी (नैनीताल)।

इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थिति :

क्रमांक	जनपद	डेयरी/अवशीतन संयंत्र	स्थापित क्षमता (ली०)	उपार्जन (ली०/दिन)	दुग्ध समिति (संख्या)	सदस्यता (संख्या)
1.	अल्मोड़ा	डेयरी संयंत्र, अल्मोड़ा	10000	52965	265	15140
		अवशीतन संयंत्र, ताड़ीखेत	500			
		अवशीतन संयंत्र, चौखुटिया	2000			
		अवशीतन संयंत्र, मारचूला	2000			
2.	बागेश्वर	अवशीतन संयंत्र, बागेश्वर	2000			
3.	चमोली	डेयरी संयंत्र, सिमली	5000	3100	110	
4.	चम्पावत	अवशीतन संयंत्र, चम्पावत	5000			
5.	देहरादून	डेयरी संयंत्र, देहरादून	20000	9338	250	12305
		बल्क कूलर	1000			
6.	हरिद्वार	बल्क कूलर	5000			
7.	नैनीताल	डेयरी संयंत्र, लालकुआं	50000			
		अवशीतन संयंत्र, भवाली	20000			
8.	पौड़ी	डेयरी संयंत्र, श्रीनगर	20000	7500	182	9203
		अवशीतन संयंत्र, कोटद्वार	5000			
9.	पिथौरागढ़	डेयरी संयंत्र, पिथौरागढ़	5000			
		अवशीतन संयंत्र, थल	2000			
10.	रुद्रप्रयाग	बल्क कूलर, सुमाड़ी	1000			
11.	टिहरी	डेयरी संयंत्र, नई टिहरी	5000			
12.	ऊधमसिंह नगर	अवशीतन संयंत्र, बाजपुर	20000	36735	329	16500
		अवशीतन संयंत्र, खटीमा	20000			
13.	उत्तरकाशी	डेयरी संयंत्र, मातली	5000			
	योग	डेयरी संयत्र	120000	84570	1815	92796
		अवशीतन संयंत्र	85500			

प्रमुख योजनायें –

1. गूजर विकास योजना
2. सहकारी चारा विकास योजना
3. भ्रूण प्रत्यारोपण परियोजना
4. महिला डेयरी विकास परियोजना
5. सघन मिनी डेयरी परियोजना
6. स्पेशल कम्पोनेंट प्लान
7. खत्ता विकास योजना
8. एकीकृत ग्राम्य विकास योजना
9. सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षण योजना
10. पशु स्वास्थ्य एवं नस्ल सुधार कार्यक्रम

- प्राथमिक पशुचिकित्सा
- आकस्मिक (आपातकालीन) पशुचिकित्सा
- बांझपन शिविरों की व्यवस्था
- पशुओं की नस्ल सुधार
  - नैसर्गिक गर्भाधान
  - कृत्रिम गर्भाधान

आज्ञा से,

नवीन चन्द्र शर्मा,
सचिव ।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 पशुधन मत्स्य/198–2005–85+300 (कम्प्यूटर/रीजियो)।